तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 100/2023 बअनवान राजुराम वगै. बनाम अर्जुन वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

आदेश

दिनांक 11.12.2024

उपस्थिति

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री सुनिल के मेराजा
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री महेश

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि है जिसमें अपीलांटस का जन्म से हक अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटस की अपील को स्वकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु उतरदाता के पक्ष में है। उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने हेतु हस्तगत वाद एवं आवेदन पेश किया गया। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे। उतरदाता के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

CIVIL APPEAL NO 6333 OF 2013

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अपीलांटस/वादी की माता का निधन 1980 में हो गया। अपीलांटस/वादी द्वारा अपने माता के देहान्त के 44 वर्ष बाद हस्तगत वाद पेश किया गया। अपीलांटस की वाद पेश करने की मंशा न्यायिक नहीं है। उतरदाता रिकॉर्डेड खातेदार को दावे की आड़ में अपने खातदोरी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं है। हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों ही बिंदु अपीलांटस के पक्ष में नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर